

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना.
/2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्रीमती शशि शर्मा, प्रधानाचार्य, शहीद भंवरलाल राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय, झटावा खुर्द, मण्डावा जिला झुन्झुनूं, को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रेडाना, गडरा रोड, जिला बाडमेर एवं श्री जयपाल सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालय, 66 आर.बी. जिला गंगानगर को शहीद भंवरलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
झटावा खुर्द, मण्डावा जिला झुन्झुनूं, स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती शशि शर्मा, द्वारा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकूलिका शर्मा व अन्य बनाम
राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश
दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं
क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्रीमती शशि शर्मा, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में
शहीद भंवरलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झटावा खुर्द, मण्डावा जिला झुन्झुनूं में
प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं श्री जयपाल सिंह, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन
दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रेडाना, गडरा रोड, जिला बाडमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय
उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16105/2019 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन
रहेंगे।



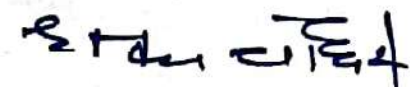
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्रीमती मुकुलिका शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिथुसर, गोखरी जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनियानी, गडरा रोड जिला बाडमेर एवं श्री महेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंजासरी, राजपुरा जिला हनुमानगढ़ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिथुसर, गोखरी जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती मुकुलिका शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्रीमती मुकुलिका शर्मा माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिथुसर, गोखरी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्री महेन्द्र सिंह का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनियानी, गडरा रोड जिला बाडमेर किया जाता है।



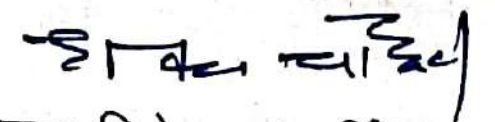
(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/मुकुलिका/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री रजनीश दाधीच, प्रधानाचार्य, शहीद मेजर श्री एम.एच.खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनुरी, जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिडी, गडरा रोड जिला बाडमेर एवं श्री राजकुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूदों का बास जिला झुन्झुनूं को शहीद मेजर श्री एम.एच.खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनुरी जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री रजनीश दाधीच द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री रजनीश दाधीच, शहीद मेजर श्री एम.एच.खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनुरी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित श्री राजकुमार का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिडी, गडरा रोड जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/मुकुलिका/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्रीमती प्रतिभा चौधरी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिलोई दक्षिण जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतरोडी, गडरा रोड, जिला बाडमेर एवं श्री एजाज नबी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करमावास जिला बाडमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिलोई दक्षिण जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती प्रतिभा चौधरी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्रीमती प्रतिभा चौधरी, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिलोई दक्षिण जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं श्री एजाज नबी, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतरोडी, गडरा रोड, जिला बाडमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16105/2019 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।



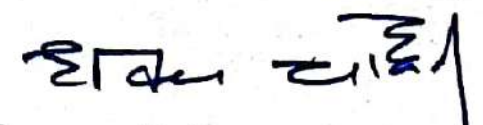
(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



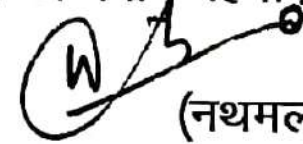
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना.
/2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, शहीद महेन्द्र सिंह राजकीय उच्च
माध्यमिक विद्यालय, सोनासर जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसड़ी, शिव,
जिला बाडमेर एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, प्रधानाचार्य, शहीद राजेन्द्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक
विद्यालय, कालोटा जिला झुन्झुनूं को शहीद महेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनासर
जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री विजेन्द्र कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम
राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश
दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं
क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्री विजेन्द्र कुमार, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में
शहीद महेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोनासर जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद
पर पदस्थापित रहेंगे एवं श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे
पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसड़ी,
शिव, जिला बाडमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा याचिका संख्या 16105/2019 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।



(नथमल डिडेल)

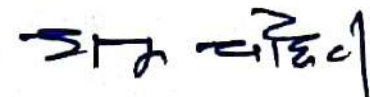
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को दिभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री प्रीतम सिंह, प्रधानाचार्य, एल.एल.टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजावल, गडरा रोड जिला बाडमेर एवं श्री दामोदर प्रसाद जीनगर, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुलहरियों की ढाणी जिला झुन्झुनूं को एल.एल.टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री प्रीतम सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री प्रीतम सिंह, एल.एल.टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलसीसर जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित श्री दामोदर प्रसाद जीनगर का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजावल, गडरा रोड जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

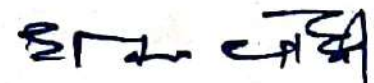
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/मुकुलिका/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री बलबीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजला जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दरा, शिव जिला बाडमेर एवं श्री महेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिन्डिया जिला नागौर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजला जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री बलबीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्री बलबीर सिंह माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजला जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं श्री महेश कुमार, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दरा, शिव जिला बाडमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16105/2019 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

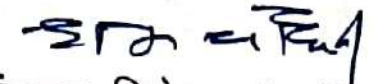
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना.
/2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री बलबीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
बाजला जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दरा, शिव जिला बाडमेर एवं श्री
महेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिन्डिया जिला नागौर को राजकीय
उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजला जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री बलबीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान
राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक
24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं
क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्री बलबीर सिंह माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाजला जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे
एवं श्री महेश कुमार, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त
करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुन्दरा, शिव जिला बाडमेर किया जाता है।
उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16105/2019
में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्री बलबीर सिंह दुधवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकडेऊ कलां जिला झुन्झुनूं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामलोर, गडरा रोड, जिला बाडमेर एवं श्री हाफिज मोहम्मद खान, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलाया जिला नागौर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकडेऊ कलां जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री बलबीर सिंह दुधवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्री बलबीर सिंह दुधवाल माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकडेऊ कलां जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं श्री हाफिज मोहम्मद खान, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामलोर, गडरा रोड, जिला बाडमेर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16105/2019 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

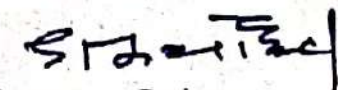

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया/16105/2019 दिनांक 02-12-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/जोधपुर संभाग, चूरु/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनूं/बाडमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)